

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2283/2008/जयपुर

मैसर्स एमट्रेक हिटाची एप्लायन्सेज लि0,  
414, शालीमार काम्पलैक्स,  
एम.आई.रोड, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,  
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त प्रथम, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष  
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी.कुमार, अभिभाषक।  
श्री एन.के.बैद  
उप राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 5 .03.2017

### निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 10.03.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, 1995 के नियम 34 सपठित धारा 30, 65 एवं 58 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 01.06.2006 के जरिये कायम की गयी मांग राशि को अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 20.06.2000 को प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण करते हुए अधिनियम की धारा 30 के तहत दिनांक 04.03.2003 को आदेश पारित करते हुए कर, शास्ति एवं ब्याज का आरोपण किया गया। जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपील अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स) के समक्ष प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 03.12.2004 को प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। उक्त आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 01.06.2006 को पुनः आदेश पारित कर मांग सृजित की, जिसके विरुद्ध पुनः अपील करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10.03.2008 द्वारा पुनः प्रकरण निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में व्यवहारी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित किये जाने की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना आदेश दिनांक 06.08.2010 पारित कर दिया है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अनुचित बतलाते हुए तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10.03.2008 को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना आदेश दिनांक 06.08.2010 पारित कर दिया है, जिससे वर्तमान में लम्बित यह अपील निष्प्रभावी हो जाती है।

लगातार.....2

6. प्रकरण में उप राजकीय अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति प्रकट करते हुए तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में अपने आदेश दिनांक 10.03.2008 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये हैं, जिनकी पालना में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने उभयपक्षों की सुनवाई करते हुए दिनांक 06.08.2010 द्वारा विस्तृत आदेश पारित कर दिया है। चूंकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह विवादित अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दि. 10.03.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जो अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना होने से अस्तित्व में नहीं हैं, अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है। अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:-

- (i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
- (ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै० केशरीलाल (1991) 9 आर.टी.जे.एस 8
- (iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं० (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)
- (iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं०, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

6. उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत तथ्यों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया।


7. रिकार्ड का परिशीलन से विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित प्रस्तुत अपील को अपने आदेश दि. 10.03.2008 द्वारा प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन अपने आदेश दिनांक 06.08.2010 को कर दिया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त न्यायिक दृष्टांत 25 टैक्स अपडेट 59, जिसका संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है :-


"In my opinion, no error has been committed by learned Tax board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order."

8. उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.) से भी मेल खाते हैं। राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय 38 टैक्स वर्ल्ड 16 के निर्णय तथा उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में हस्तगत प्रकरण में दिनांक 06.08.2010 को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है।

परिणामतः अपील "सारहीन" होने के कारण खारिज की जाती हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया।

  
( मदन लाल )  
सदस्य

  
( खेमराज )  
अध्यक्ष